कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025 **दिनांक 21/03/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याः वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 20.03.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 98/2024 धारा 363, 366, 376 भा0द0वि0 व 5L/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 19.03.2025 को उ0नि0 श्री रमेश तिवारी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन,तलाश वांछित अभियुक्त हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दिया जा रहा था कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 16.06.2024 को वादी मुकदमा श्रीमती रीता सिंह पत्नी बाल गोविन्द सिंह निवासी ग्राम सिसौड़ा थाना नन्दगंज के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 98/2024 धारा 363, 366, 376 भा0द0वि0 व 5L/6 पॉक्सो एक्ट में प्रकाश में आये अभियुक्त प्रिन्स सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी ग्राम खिजिरपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष को बहद् ग्राम सहेड़ी तिराहा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1 . प्रिन्स सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी ग्राम खिजिरपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

02. थाना नोनहरा पुलिस द्वारा पिकप वाहन पर वध हेतु ले जा रहे 08 राशि गोवंश के साथ 2 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 20.03.2025 को ग्राम चक आजम के पास निर्माणाधीन हाइवे से नोनहरा पुलिस टीम द्वारा एक अदद पिकप वाहन पर वध हेतु ले जाए जा रहे 8 राशि गोवंश तथा एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 80/25 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. आशीष कनौजिया पुत्र जवाहिर कनौजिया नि0 ग्राम सहेडी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष

2. मनीष कुमार गौड पुत्र झुल्लन गौड निवासी ग्राम सहेडी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी-

01 .एक अदद पिकप पर वध हेतु ले जा रहे 8 राशि गोवंश

02 . एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

अपराधिक इतिहास-

01 . आशीष कनौजिया पुत्र जवाहिर कनौजिया नि0 ग्राम सहेडी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष

1. मु0अ0स0 80/25 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

2.मु0अ0स0168/20211 धारा 380/411 भादवि थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

02 . मनीष कुमार गौड पुत्र झुल्लन गौड निवासी ग्राम सहेडी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष

1. मु0अ0स0 80/25 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

03. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.03.2025 को उ0नि0 हरिश्चन्द्र सिंह मय हमराह थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0 07 गाजीपुर द्वारा जारी एनबीडब्ल्यु फौ0मु0नं0 10042/21 धारा 323, 504 भादवि बनाम रामचन्द्र बिन्द थाना कोतवाली गाजीपुर से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त विकास चन्द्र पुत्र रामचन्दर बिन्द निवासी गोड़ा देहाती थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पताः-

1. विकास चन्द्र पुत्र रामचन्दर बिन्द निवासी गोड़ा देहाती थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

04. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.03.2025 को उ0नि0 सलाहुद्दीन मय हमराह थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा जारी एनबीडब्ल्यु फौ0मु0नं0 1137/15 धारा 323, 504, 506 भादवि ब नाम किशन सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त किशन पुत्र शिवलोचन निवासी डिलिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 32 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पताः-

1 .किशन पुत्र शिवलोचन निवासी डिलिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 32 वर्ष

05. महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केन्द्र गाजीपुर द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अलग हुए 02 परिवारों की कराई गई विदाई।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 20.03.2025 को परिवार परामर्श केन्द्र गाजीपुर में पति-पत्नी के विवाद से सम्बन्धित कुल 10 प्रकरण को सुना गया, जिसमें काफी समय से विवादित चल रहा 02 प्रकरण में दोनो पक्षो को बैठाकर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भुलाकर विदाई करायी गयी। 02 पारिवारिक विवाद में कुशलता प्रकट होने के बाद पत्रावली बंद कर दी गई, 03 प्रकरण में विधिक सुझाव देते हुए पत्रावली बंद कर दी गई। शेष 03 परिवारिक विवाद में मध्यस्थता न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई इन सभी प्रकरण के निस्तारण में काउंसलर कमरूद्दीन ,महिला प्रकोष्ठ प्रभारी शशि सिंह, उप निरीक्षक शशिधर मिश्रा, महिला आरक्षी संध्या, महिला होमगार्ड उर्मिला गिरी आदि लोग प्रमुख थे।

06. थाना बरेसर एवं थाना करीमुद्दीनपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 25000/- रू0 का ईनामिया शातिर अभियुक्त महावीर यादव मुठभेड़ के दौरान घायल/गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान क्रम में दिनांक 19.03.2025 मध्यरात्रि को थानाध्यक्ष बरेसर संतोष कुमार पाठक मय हमराह का0 संतोष मौर्या, का0 शैलेन्द्र प्रताप के साथ गो तस्करी, अवैध शस्त्र, तलाश वांछित व वारंटी आदि गंभीर किस्म के अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश हेतु चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन मे मामूर होकर रात्रि गश्त अलावलपुर कर रहे थे कि जरिये जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि प्रभारी निरीक्षक थाना करीमुद्दीनपुर महोदय द्वारा एक बदमाश का पीछा किया जा रहा है जो कामुपुर अंडरपास से होते हुए बाराचवर के रास्ते होते हुए जहूराबाद की तरफ जा रहा है इस सूचना पर थानाध्यक्ष संतोष कुमार पाठक मय हमराह द्वारा अलावलपुर से जहूराबाद की तरफ प्रस्थान किया और जैसे ही सिपाह पुलिया के पास पहुंचे की सामने से एक तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल सवार ने माटा की तरफ वाहन को मोड़ा की अनियंत्रित होकर गिर गया। पुलिस टीम द्वारा बदमाश को आत्मसमर्पण करने हेतु ललकारते हुए बताया गया कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो तभी गिरे हुए व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से मोटरसाइकिल की आड़ में फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा एक राउंड फायर किया गया, जो बदमाश के बांये पैर में लगा और दर्द से कराहने लगा और पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूँछते हुए भागने का कारण पूँछा गया तो उस व्यक्ति ने अपना नाम महावीर यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव निवासी ग्राम गन्धपा थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष बताया तथा अभियुक्त के दाहिने हाथ के पास जमीन पर एक अदद देशी तमंचा 0.315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस.315 बोर मिला जो थाना करीमुद्दीनपुर के मु0अ0सं0 60/25 में वांछित है। पकड़े गये अभियुक्त उपरोक्त को उनके अपराध का बोध कराते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/25 धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग उक्त गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1 .अभियुक्त महावीर यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव निवासी ग्राम गन्धपा थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

1 .मु0अ0सं0 151/23 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर

2 .मु0अ0सं0 154/23 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर

3 .मु0अ0सं0 49/23 धारा 3/5ए/8, 5 गौ0ह0नि0 अधि0 व 3/25 ए.एक्ट थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

4 .मु0अ0सं0 90/24 धारा 115(2)/126(2)/351(2)/352 बी.एन.एस थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

5 . मु0अ0सं0 60/25 धारा 191(2)115(2), 352, 351(3),105 बी.एन.एस. थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर

<u>बरामदगी विवरण –</u>

1 .एक अदद देशी तमंचा 0.315 बोर

2 .एक अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर

3 .एक अदद अपाचे मोटरसाइकिल

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर